

समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-189, दिनांक-04.03.15 से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजन हेतु 259(दो सौ उनसठ) अभ्यर्थियों का पैनल निर्मित है, जिसमें से पूर्व में मेघा क्रम सं0 एवं अद्यतन आरक्षण के प्रावधान के अनुरूप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, मधेपुरा के पत्रांक-193, दिनांक-30.05.2018 से वित्तीय कार्य CFMS के माध्यम से किये जाने हेतु 2(दो) कार्यपालक सहायक की प्राप्त अधियाचना के आलोक में 2(दो) कार्यपालक सहायक की सेवा उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा, मधेपुरा के पत्रांक-336, दिनांक-15.10.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-328, दिनांक-01.10.2018 द्वारा CFMS के कार्य को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। जिसके आलोक में दोनों कार्यपालक सहायक को वापस की सेवा वापस किया गया है। तदोपरान्त जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा के पत्रांक-1770, दिनांक-05.11.2018 से प्राप्त 01 कार्यपालक सहायक की अधियाचना एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-792/पं0, दिनांक-18.08.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जिला अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक-एक कार्यपालक सहायक की प्राप्त अधियाचना के आलोक में दोनों कार्यपालक सहायक की सेवा निम्न प्रकार उपलब्ध करायी जाती है :-

क्रम सं0	मेघा क्रं0	पैनल के चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	कोटि	आवंटित विभाग/कार्यालय
01	164	राहुल राज	पे0-उमेश यादव, ग्राम+पो0-सुख्रासन, थाना-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा	08.03.95	BC	राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा
02	176	मनीष कुमार	पे0-सिकेन्द्र साह, सा0-आदर्श नगर, वार्ड नं0-7, मधेपुरा	06.04.92	BC	जिला पंचायत शाखा, मधेपुरा

संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा प्राप्त कार्यपालक सहायक की अधियाचना के आलोक में कार्यपालक सहायक को नामित किया गया है। नियोजन पत्र संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाएगा, जिसमें संविदा पर नियोजन हेतु सेवा संबंधी सभी शर्तों का उल्लेख संबंधित कार्यपालक सहायक के नियोजन पत्र पर अंकित किया जाए। उपर्युक्त कार्यपालक सहायक का नियोजन प्रकाशित विज्ञापन के अनुरूप किया जाए। साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि जिलान्तर्गत जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने को है एवं मुख्यालय के नजदीक वाले पंचायतों में कार्यपालक सहायक का नियोजन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

नियोजन के लिए शर्तें:-

1. नियोजन ईकाई अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र यथा- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/ ओ0बी0सी (यदि लागू हो), आवासीय प्रमाण पत्र इत्यादि की सत्यता की जाँचकर स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात ही नियोजन पत्र निर्गत करेंगे।
2. नियोजन बिल्कुल ही अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. नियोजन होने पर इनकी कार्यावधि अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकतानुसार तथा सेवा संतुष्टि के आधार पर विभागीय नियमानुसार इसे बढ़ायी जा सकेगी।
4. इनका मानदेय अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार पटना के पत्रांक-बि0प्र0सु0 मि0सो0/योजना-02/2012(खण्ड)163/ DSC , दिनांक-01.09.2015 से प्राप्त निदेश के आलोक में मानदेय

11345/- (ग्यारह हजार तीन सौ पैंतालिस) रुपये प्रति माह देय होगा तथा सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा तत्क्षण समाप्त किया जा सकता है।
6. योगदान के लिये किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है।
7. योगदान के समय अभ्यर्थी को निम्न हार्डवेयर होना अनिवार्य होगा अन्यथा योगदान नहीं किया जा सकेगा :-
 - (1) एक डेस्क टॉप
 - (2) एक प्रिंटर (ब्लेक एण्ड व्हाइट)
 - (3) एक यू0पी0एस0
 - (4) इन्टरनेट कनेक्शन हेतु डाटा कार्ड
8. कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिये अलग से कोई राशि देय नहीं होगी, इसमें लगने वाला पेपर, कार्टेज आदि की आपूर्ति संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी।
9. इन्टरनेट कनेक्शन का बिल नियोजित अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
10. नियोजन के समय अभ्यर्थी को सिविल सर्जन से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति समर्पित करना होगा।
11. नियोजन के समय अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में एकरारनामा समर्पित करना होगा।

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

रू/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक.....988-2...../स्था0,

मधेपुरा, दिनांक- 31-12-2018

प्रतिलिपि :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आई0टी0मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

31/12
जिलाधिकारी,
मधेपुरा